संख्या-2/सी 3-10।2/73 का० 14634

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्रीमती मालती सुनीला सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागों के उप सचिव (प्रभारी-प्रशासन)।

पटना-15, दिनांक 28 भाद्र, 1895 (सं)
19 सितम्बर, 1973।

विषय :—निलम्बित पदाधिकारियों का बिवरण।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ निलम्बित पदाधिकारियों की एक सूची कार्मिक विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

उक्त सूची में निम्नलिखित सूचनाएँ भी अंकित रहें :—

1. पदाधिकारी का नाम
2. पदाधिकारी का पद नाम
3. किस तिथि से वे निलम्बित हैं ?
4. निलम्बन का संक्षिप्त विवरण :
5. किस तिथि तक उनके मामले के निष्पादित होने की संभावना है ?

अथवा

किस तिथि तक उनके निलम्बन के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश निर्गत होने की संभावना है ? कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/ मालती सिन्हा
19-9-73
उप सचिव।

हरि ना० 19/

संख्या ओ० एम०/आर०-1020/73—505 /

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

(संघटन एवं पद्धति)

16-10-73

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव/सभी सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव।

विषय :—विभागीय संघटन एवं पद्धति कोषांग की मासिक बैठक।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार के समक्ष समय-समय पर यह सूचना आती रहती है कि विभिन्न विभागों में निलम्बन संबंधी मामलों के निस्तार में शीघ्रता नहीं बरती जाती है। फलतः सम्बद्ध पदाधिकारियों को बहुत कठिनाई

झेलनी पड़ती हैं। निलम्बन सम्बन्धी मामलों के द्रुत निष्पादन के लिए अनेक परिपत्र निर्गत किये हैं, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि इन मामलों में विभागों द्वारा पर्याप्त दिलचस्पी नहीं ली जाती है। दिनांक 21-9-73 को मुख्य सचिव के कक्ष में हुई प्रमुख सचिवों की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया। निर्णय यह हुआ कि निलम्बन सम्बन्धी मामलों पर निगरानी रखने के लिए सभी विभागों के प्रशासन के प्रभारी उप-सचिव अपने विभाग में निलम्बित पदाधिकारियों की एक सूची हर माह में १० तारीख तक मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ-सूचनार्थ संघटन एवं पद्धति प्रशाखा को भेजें जिसमें निम्नलिखित सूचनाएँ अंकित रहें।

1. पदाधिकारी का नाम

2. पद नाम

3. किस तिथि से वे निलम्बित हैं

4. किस तिथि तक उनके मामले का निष्पादन होने की संभावना है। किस तिथि तक उनके निलम्बन के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश के निर्गत होने की सम्भावना है।

1. इस प्रसंग में कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 2"/सी 3—सी-3—1012/73 का 14634, दिनांक 19-9-73 का निर्देश किया जाय।

2. विभिन्न विभागों के संघटन एवं पद्धति कोषांग के पदाधिकारियों को प्रत्येक दो माह के अन्तर पर में मुख्य सचिव से मिलने की अपेक्षा है।

प्रमुख सचिवों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव के साथ संघटन एवं पद्धति सम्बन्धी विषयों पर जो बैठक होगी उनकी कार्यावली में इस परिपत्र के द्वारा जो आवधिक विवरणियाँ संघटन एवं पद्धति प्रशाखा को भेजी जाएँगी उन पर भी विचार करने के लिये एक मद जोड़ा जायगा।

2. आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग के सम्बद्ध उप सचिव को इसकी सूचना दी जाय।

3. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/—नगीना प्रसाद
वास्ते—अवर सचिव।

संख्या ओ० एम०/आर०—1—048/70—630

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग।

पटना, दिनांक 30 जुलाई, 1976।

विषय :—निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों की मासिक सूची।

निर्देश :—संख्या ओ० एम०/आर—1—075/74—737 दिनांक 10 अक्टूबर, 1974।

उपर्युक्त निर्देशित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि निलंबन संबंधी मामलों के निस्तार में शीघ्रता बरतने एवं निलंबन सम्बन्धी मामलों पर निगरानी रखने के लिए निलम्बित राजपत्रित पदाधिकारियों की सूची हर माह की १०वीं तारीख तक विहित प्रपत्र में मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ संघटन एवं पद्धति प्रशाखा में भेजने का

निर्देश भेजा गया है तथा समय-समय पर भी अनेक पत्र निर्गत किये गये हैं। फिर भी प्राप्त सूचियों के समीक्षोपरान्त ऐसा देखने को मिला है कि दिये गये निर्देश के अनुसार न तो सूची बनायी जाती है और न तो समय पर भेजी ही जाती है।

अतः अनुरोध है कि विवरणी विहित प्रपत्र में ही बनाई जाय और उसे प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक ही यहाँ भेजी जाय। इसका दृढ़ता से पालन कराया जाय।

(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

विहित प्रपत्र

क्रमांक	विगत महीने के पहले तक निलम्बित किये गये पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम	विगत महीने में निलम्बित किए गये पदाधिकारियों के नाम एवं पद नाम (स्तम्भ-२ की पदाधिकारियों की सूची के बाद इस स्तम्भ की सूची अंकित की जाय)	निलंबन की तिथि	निलंबन का कारण	निलम्बन के मामले के निष्पादन में हुई प्रगति।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

संख्या ओ० एम०/आर० 1-075/74 -737 /

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग
(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव
सभी सचिव
सभी विशेष सचिव

पटना, दिनांक जुलाई, 1976।

विषय :—निलम्बित पदाधिकारियों की मासिक सूची।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि विभागों में निलम्बन सम्बन्धी मामलों के निस्तार में शीघ्रता बरतने एवं निलम्बन सम्बन्धी मामलों पर निगरानी रखने के लिए निलम्बित राजपत्रित पदाधिकारियों की एक सूची हर माह की 10 तारीख तक विहित प्रपत्र में मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ संघटन एवं पद्धति प्रशाखा में भेजने का निदेश पत्र-संख्या 505 दिनांक 16-10-73 (प्रतिलिपि अनुलग्न) में परिचारित किया गया था। लेकिन ऐसा पाया गया है कि उक्त सूची में विभाग द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन कुल निलम्बित पदाधिकारियों का विवरण समेकित रूप से नहीं दिया जाता है। भविष्य में परिपूर्ण सूचनाओं को समाविष्ट किया जा सके इस प्रयोजन से निम्नांकित संशोधित प्रपत्र को विहित किया जा रहा है, जिसमें निलम्बित पदाधिकारियों का विवरण भेजने की कृपा की जाय। सितम्बर, 1974 ई० एवं आगे के प्रतिवेदन इसी प्रपत्र में भेजे जायें।

विश्वासभाजन,
ह०/- कीर्ति नारायण
सरकार के उप-सचिव।

विहित प्रपत्र

1. विगत महीने के पहले तक निलम्बित किए गये पदाधिकारियों के नाम
2. विगत महीना में निलम्बित किए गये पदाधिकारियों का नाम एवं पद नाम
3. निलम्बन की तिथि
4. निलम्बन का कारण
5. निलम्बन के मामले के निष्पादन में हुई प्रगति
6. अभ्युक्ति।

II–10

संख्या ओ० एम०/आर०–1–045/77–702/

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव

पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 1977

विषय :—निलम्बित राजपत्रित पदाधिकारियों की त्रैमासिक सूची।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि निलम्बित राजपत्रित पदाधिकारियों से सम्बन्धित मामलों की प्रगति का मासिक प्रतिवेदन मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ संघठन एवं पद्धति प्रशाखा में भेजने का निदेश परिपत्र संख्या 630 दिनांक 30 जुलाई, 76 में सभी विभागों को भेजा गया था। तत्काल निबंधक/अवर सचिव स्तर के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से ही अधिकतर प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अतएव यह स्पष्ट नहीं है कि सम्बन्धित प्रशासी विभागों के प्रधान सचिवों ने उन विभागों से भेजे गये प्रतिवेदनों को देखा भी है अथवा नहीं। निलम्बन के मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन वित्तीय, प्रशासनिक तथा मानवीय दृष्टियों से अत्यावश्यक है।

अतएव इस ओर प्रधान सचिवों का हर महीने समीक्षा के रूप में निजी ध्यान जाना चाहिए। अस्तु, निर्धारित प्रपत्र के अभ्युक्ति कॉलम में समीक्षोपरान्त शीघ्र निष्पादनार्थ प्रधान सचिवों के हुए अनुदेश का भी उल्लेख किया जाय।

2. अतः अनुरोध है कि भविष्य में निलम्बित राजपत्रित पदाधिकारियों का विवरण विहित प्रपत्र में भेजा जाय एवं उपर्युक्त निदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाय।

3. निलम्बन के मामले साधारणतः गम्भीर आरोपों से सम्बद्ध रहते हैं और इसलिए इसके निष्पादन में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। इस पृष्ठभूमि में यद्यपि विभागों में प्रधान सचिव प्रत्येक मास समीक्षा करें, फिर भी संघठन एवं पद्धति प्रशाखा में प्रत्येक त्रैमास पर ही विहित प्रतिवेदन भेजा जाय। अतः अब से १५ जनवरी, १५ अप्रील, १५ जुलाई, एवं 15 अक्तूबर तक क्रमशः त्रैमासान्त दिसम्बर, मार्च, जून एवं सितम्बर, से सम्बन्धित प्रतिवेदन कृपया भेजा जाय। इन त्रैमासिक प्रतिवेदनों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जायगी एवं उनके अनुदेश विभागों को भेजे आयेंगे।

4. कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन;

मुकुन्द प्रसाद

27-9-77

सरकार के अपर सचिव।

विहित प्रपत्र

क्रमांक	विगत त्रैमास के पूर्व तक निलम्बित किये गये पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम।	प्रतिवेदनान्तर्गत त्रैमास में निलम्बित किये गये पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम। (स्तम्भ–2) के पदाधिकारियों की सूची के बाद जोड़ें।	निलम्बन की तिथि	निलंबन का कारण	निलम्बन के मामले के निष्पादन में हुई प्रगति।	मामले के समीक्षोपरान्त प्रधान सचिव के हुए अनुदेश का उल्लेख।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8